[illegible] 2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी संख्या 8 का नाम हजफ करने हेतु निवेदन किया है। बहस प्रार्थी के वकील को सुना, अतः अप्रार्थी संख्या 8 का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत [illegible] के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम [illegible] तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर [illegible], 684/0.56, 686/0.57, 687/0.22, [illegible], 689/0.46 कुल किता 6 रकबा 2.03 हैक्टयर व खसरा नम्बर 400/0.12, 541/0.24, 542/0.15 कुल किता 3 रकबा 0.51 हैक्टयर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है। इसलिये प्रार्थीगण के हिस्सा तक उनका कब्जा माना जावेगा इसके अलावा अप्रार्थीगण तामील के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अप्रत्यक्ष रूप से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रार्थीगण को उनके हिस्सा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.

व कब्जा की आराजी से बेदखल कर सकते है जिससे अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम नौगांव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 540/0.07, 684/0.56, 686/0.57, 687/0.22, 688/0.20, 689/0.46 कुल किता 6 रकबा 2.03 हैक्टयर व खसरा नम्बर 400/0.12, 541/0.24, 542/0.15 कुल किता 3 रकबा 0.51 हैक्टयर में प्रार्थीगण के हिस्सा तक उनके कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(जिला दौसा)